

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग


क्रमांक एफ 14 (13)(29)/श्रम/ विधि/2020/8313

जयपुर, दिनांक 20-4.2020

कार्यालय आदेश

प्रदेश में कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण देश व्यापी लोकडाउन के मध्य सभी प्रकार के संस्थान एवम औद्योगिक गतिविधिया बन्द होने के कारण श्रमिकों को आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु श्रम विभाग द्वारा मुख्यालय, जयपुर पर एक कन्ट्रोल रूम की स्थापना आदेश क्रमांक एस.पी-10 दिनांक 18.4.2020 द्वारा की गई है। इस क्रम में निम्नलिखित अधिकारियों को राज्य-स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है:-

1. श्री अनुपम गौड़ राज्य-स्तरीय नोडल अधिकारी मो0-9351314767
संयुक्त श्रम आयुक्त (विधि.)
मुख्यालय जयपुर
2. सुश्री प्रज्ञा शर्मा सह नोडल अधिकारी मो0-9267912131
सहायक श्रम आयुक्त,
जयपुर



(प्रतीक झाड़िया)
श्रम आयुक्त
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 14 (13)(29)/श्रम/ विधि/2020/8314-8387

जयपुर, दिनांक 20-4.2020

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री श्रम एवं रोजगार, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. विशिष्ट सहायक, सचिव, माननीय मंत्री श्रम एवं रोजगार, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
5. जिला कलक्टर(समस्त)।
6. संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी.....(समस्त)।
7. संबंधित अधिकारी।


अतिरिक्त श्रम आयुक्त
राजस्थान जयपुर।